कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

(90)

क्रमांक–शिविरा / प्रारं / पीएसपी / मूल मान्यता / 19654 / 2018–19 / 87 दिनांकः– 24 / 04 / 18

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा,
समस्त.............................

विषयः–आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 18 व 19 के तहत् गैर सरकारी विद्यालयों को गत सत्रों में निश्चित समयावधि हेतु दी गई मान्यता के संबंध में।
प्रसंगः–राज्य सरकार का पत्र कमांक प.12(6) शिक्षा–5 / आरटीई दिशा निर्देश / 2014 पार्ट, जयपुर दिनांक 05.03.18

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संबंध में लेख है कि वर्तमान में विद्यालयों के संचालन में आ रही समस्याओं के संबंध में राज्य सरकार के निर्देशानुसार आरटीई के मान व मानक पूरा करने वाली निश्चित समयावधि हेतु मान्यता प्राप्त सभी गैर सरकारी विद्यालयों को स्थाई मान्यता जारी करने के संबंध में निम्नांकित निर्देश प्रदान किये जाते हैं:–

- जिन विद्यालयों को राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता एवं सेवा शर्तें) (संशोधित) नियम, 2011 के अधिसूचित होने के बाद नवीन मान्यता दी गई है वह स्थाई है अतः ऐसे सभी विद्यालयों को स्थाई मान्यता आदेश जारी कर दिए जावें ।
- इन संशोधित नियमों के लागू होने से पूर्व संचालित जिन गैर–सरकारी विद्यालयों ने स्वघोषणा (प्रारूप–1) में सूचना भर कर सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करवा दी थी, जिनका निरीक्षण हुआ था तथा निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार मान व मानक पूर्ण थे उनकी मान्यता स्थाई मानी जाने के आदेश जारी किए जावें ।
- जिन विद्यालयों ने प्रारुप –1 में सूचना भरी थी तथा निरीक्षण में मान व मानक पूर्ण नहीं थे तथा जिन विद्यालयों ने प्रारुप–1 में सूचना भरी थी किन्तु उनका निरीक्षण नही हुआ था, उनके मान व मानकों की पुनः पुष्टि करने हेतु अन्तरब्लॉक (INTER BLOCK) ऑफलाईन निरीक्षण दल का गठन किया जावे। निरीक्षण दल में कुल दो सदस्य होंगे जिनमें से दल के अध्यक्ष के रूप में ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी / अतिरिक्त ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी / प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय / व्याख्याता को लगाया जाएगा तथा दल के सदस्य के रूप में प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय को लगाया जाएगा। निरीक्षण प्रतिवेदन (सत्र 2018–19 मान्यता हेतु जारी) के आधार पर निरीक्षण दल विद्यालय का निरीक्षण / भौतिक सत्यापन करेगा। मान व मानक पूर्ण पाये जाने पर निरीक्षण दल एवं जिला शिक्षा अधिकारी की अनुशंषा के आधार पर मान्यता प्रमाण पत्र जारी किया जाना है। मान व मानक अपूर्ण पायें जाने पर अनुशंषा 'ना' होने की स्थिति मे मान्यता समाप्ति के आदेश जारी किये जावें।
- जिन विद्यालयों ने आरटीई की मान्यता हेतु प्रारूप–1 भरकर सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा नही करवाया है उनकी विभागीय नियमानुसार मान्यता समाप्ति की कार्यवाही शुरू कर दी जावें ।

आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 18 व 19 के तहत् गैर सरकारी विद्यालयों को गत सत्रों में निश्चित समयावधि हेतु दी गई मान्यता के संबंध में उक्तानुसार कार्यावाही कर, की गई कार्यवाही से निदेशालय को 15 दिवस में अवगत करावें।

निदेशक
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

O/C

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–
1.वरिष्ठ शासन उपसचिव, शिक्षा (ग्रुप–5), शासन सचिवालय, जयपुर।
2.उपनिदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, समस्त को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश की अक्षरशः पालना करवाते हुए समेकित संख्यात्मक सूचना संलग्न प्रारुप में 20 दिवस में भिजवायें।

उप निदेशक(आरटीई)
O/C प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर